न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–शिवपुरी

I/निगरानी/शिवपुरी/भू.रा/2017/6238

श्री ... द्वारा आज दि 21.12.17 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 18.1.18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

21/12/17

1– राकेश पुत्र श्री बट्टोराम चौरसिया

2– राजू पुत्र श्री बट्टोराम चौरसिया

3– शंकर पुत्र श्री बट्टोराम चौरसिया

4– अशोक उर्फ बल्लू पुत्र श्री बट्टोराम चौरसिया

निवासीगण– शेरगढ़ तहसील नरवर, जिला–शिवपुरी (म.प्र.)

.... आवेदकगण

विरूद्ध

1– याशोदा देवी पत्नी लक्ष्मीनारायण माहेश्वरी

2– प्रदीप पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण माहेश्वरी

3– प्रवीण पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण माहेश्वरी

निवासीगण– शेरगढ़ तहसील नरवर, जिला–शिवपुरी (म.प्र.)

4– मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला शिवपुरी

.... अनावेदकगण

न्यायालय अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 385/2014–15/ अपील में पारित आदेश दिनांक 29.07.2017 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह निगरानी निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, ग्राम शेरगढ़ में स्थित भूमि खसरा नं. 36 मिन, 37 मिन, 55 मिन, 57 मिन, 58 मिन, 62 मिन, 63 मिन, 64 मिन एवं 65 कुल किता 9 रकवा 30 एकड़ भूमि आवाद कर लेने के आधार पर बंटित किये जाने हेतु आवेदन पत्र अनावेदक क्रमांक 1 के पति एवं अनावेदक क्रमांक 2 लगायत 3 के पिता द्वारा कलेक्टर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। जिसके आधार पर कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 1/अ–19/76–77 पंजीबद्ध कर प्रकरण में सम्पूर्ण

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/शिवपुरी/भू.रा./2017/6238

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22/03/2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के.के. चतुर्वेदी उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिन्दु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया। आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 06.12.1976 के विरुद्ध दिनांक 08.07.2015 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील लगभग 40 वर्ष के विलंब से प्रस्तुत की गई है, जो अवधि वाह्य है। आवेदक द्वारा विलंब के संबंध में कोई ठोस एवं समाधानकारण कारण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं जबकि अवधि विधान की धारा-5 के अनुसार विलंब के संबंध में दिन-प्रतिदिन का स्पष्टीकरण अनिवार्य होता है। आवेदक अधिवक्ता इस न्यायालय के समक्ष भी विलंब के संबंध में कोई स्पष्ट तथ्य प्रस्तुत नहीं कर सके। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	